Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 20/2014

1–सोनदेई वेवा चिरोंजी 2–शिवजी 3–सुनहरी 4–बच्चू 5–राजन 6–सौदान पिसरान स्व0 चिरोंजी जातिगण जाटव निवासीगण कुम्हेरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–श्यामसिह 2–वीरनसिह 3–विष्णुस्वरूप पिसरान पोदीनाराम जातिगण जाटव निवासीगण कुम्हेरी तहसील सैपऊ तहसील सैपऊ 4–महादेवी पुत्री भगबंता पत्नी बाबूलाल जाति जाटव निवासी गोपालपुरा मुरैना (मध्यप्रदेश) 5–ओमप्रकाश 6–नारायनदास 7–विष्णु पुत्रगण ख्याली जामिगण जाटव निवासीगण कुम्हेरी 8–कमला पुत्री चिरोंजी पत्नी रामचरन जाति जाटव निवासी चुन्ना का पुरा तहसील धौलपुर 9–बर्फी पुत्री चिरोंजी पत्नी रामदास जाति जाटव निवासी ग्राम गन्हेदी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
11–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा
88, 188 आर.टी.ए.

उपस्थिति – 1–*श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट* ..... (वादीगण)

निर्णय दिनांक : 09/10/2019

वादीगण द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 779 रकवा 1 वीघा स्थित वाके ग्रम विक्रमपुरा, (गढी चटोला) तहसील सैपऊ के खातेदार काश्तकार कृषक ख्याली, भगबंत व प्यारे तीनो भाई थे जिनके मध्य करीव 55 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से पारिवारिक समझोते के तहत विभाजन हो गया था जिसके अन्तर्गत विवादित आराजी प्यारे के हिस्से में आई थी। प्यारे ने विवादित आराजी दिनांक 03.07.1968 को 800 रूपये प्रतिफल की एवज मे वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 लगायत 6 तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के पिता को जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख हस्तांन्तरित कर दी तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। क्रय करने के पश्चात चिरोंजी विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त करता रहा। चिरोंजी का दैहान्त हो चुका है चिरोंजी के वारिस वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तथा विवादित आराजी पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त कर रहे है। ख्याली और भगवंता का दैहान्त हो चुका है। ख्याली के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 है तथा भगवंता के वारिस उसकी दो पुत्रीयां महादेवी व रामविलासी है। करीव एक माह पूर्व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

संख्या 1 लगायत 7 विवादित आराजी पर आये तथा उन्होने वादीगण को धमकी दी कि विवादित आराजी पर उनका भी नाम है। अतः अ बवह भी विवादित आराजी पर काश्त करेगें तथा यदि वादीगण नही माने तो वह जबरन कब्जा करेगें तथा विवादित आराजी को अन्य किसी को हस्तान्तरित कर देगें। इस पर वादीगण ने राजस्व अभिलेखो की जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि बयनामा के आधार पर वादीगण के पूर्व पुरूष चिरोंजी का नाम राजसव अभिलेखो मे केवल 1/3 भाग पर ही दर्ज किया गया है तथा 2/3 भाग पर ख्याली और भगवंता तथा उनकी मृत्यु के वाद उनके वारिसान का दर्ज होता रहा। भगवंता की पुत्री रामविलासी ने अवैद्य रूप से विवादित आराजी का 1/6 भाग प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को क्रय कर दिया। उक्त विक्रय पर वादीगण के मुकाबले शून्य है तथा उक्त गलत इन्द्राजात कतई गलत व अवैद्य है, जिन्हे वादीगण के अधिकारो मे कोई प्रभाव नही पडता। अतः यह वाद एक माह पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धमकी दिये जाने से अन्दर एइद अदालत पैदा है

अंन्त में निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 विवादित आराजी में शेष 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को पावन्द किया जावें की वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे काश्त की आराजी में कोई हस्तक्षेप नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। बहस एकपक्षीय सुनी गई वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल विक्रय पत्र तारीखी 30.07.1968 द्वारा प्यारे पुत्र बालकिशन वाहक चिरोंजी पुत्र तिलुआ एंव नकल जमावन्दी संवत 2066 से 69 ग्राम विक्रमपुरा प्रस्तुत कर बयनामा के अधार पर दावा वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय वहस सुनी एंव पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से हम पूर्णतः सहमत है। अतः हम दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक बयनामा डिक्री करना एंव दुरूस्ती करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी के खसरा नम्बर 779 रकवा 1 वीधा वाके ग्रम विक्रमपुरा (गढीचटोला) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के शेष 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को पावन्द किया जाता है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे काश्त की आराजी में कोई हस्तक्षेप नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास –हरीसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 20/2014

1–सोनदेई वेवा चिरोंजी 2–शिवजी 3–सुनहरी 4–बच्चू 5–राजन 6–सौदान पिसरान स्व0 चिरोंजी जातिगण जाटव निवासीगण कुम्हेरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–श्यामसिह 2–वीरनसिह 3–विष्णुस्वरूप पिसरान पोदीनाराम जातिगण जाटव निवासीगण कुम्हेरी तहसील सैपऊ तहसील सैपऊ 4–महादेवी पुत्री भगबंता पत्नी बाबूलाल जाति जाटव निवासी गोपालपुरा मुरैना (मध्यप्रदेश) 5–ओमप्रकाश 6–नारायनदास 7–विष्णु पुत्रगण ख्याली जामिगण जाटव निवासीगण कुम्हेरी 8–कमला पुत्री चिरोंजी पत्नी रामचरन जाति जाटव निवासी चुन्ना का पुरा तहसील धौलपुर 9–बर्फी पुत्री चिरोंजी पत्नी रामदास जाति जाटव निवासी ग्राम गन्हेदी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
11–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा
88, 188 आर.टी.ए.

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री .... एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी के खसरा नम्बर 779 रकवा 1 वीधा वाके ग्रम विक्रमपुरा (गढीचटोला) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के शेष 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार ही वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को पावन्द किया जाता है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कब्जे काश्त की आराजी में कोई हस्तक्षेप नही करें।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 09.10.2019 को जारी की गई।

(हरीसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ